न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 71/2023 बउनवानी ललित मेघवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि0सवाईमाधोपुर पुत्र श्री मन्छाराम मेघवाल निवासी पुरानी बस्ती, इन्दरी मेघवालो का वास वार्ड नम्बर7 सुमेरपुर जिला पाली

GCMS No-2023/141

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.08.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त अति0 खाद्य आयुक्त जयपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. वर्ष 2015 से अगस्त,2023 तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य कर्मचारियो द्वारा नियमो के विपरीत सरकारी कार्मिको ने गेंहू उठाऐ थे। समस्त गेंहूँ उठाने वाले कार्मिको की प्रमाणित सूची 2. नियमोके हिसाब से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेंहू उठाए कार्मिको के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ /2023/371–72 दिनांक 20.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.8.2023 के बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना (कुल 62 पृष्ठों) के लिए 2/–रू प्रति पृष्ठ के हिसाब से शुल्क जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 370 दिनांक 20.11.2023 से लिखा जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही अपीलान्ट को सूचना दी जा सकती है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.08.2023 के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना (कुल 62 पृष्ठो) के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाया गया है। अतः अपीलान्ट को [illegible] वांछित शुल्क राशि जमा करवाकर चाही गयी सूचना जिला रसद कार्यालय [illegible] करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। [illegible] सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2024.01.10 12:07:53 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner